an>

Title: Submission regarding a circular reportedly issued by Ministry of Home Affairs prescribing certain norms to be followed by the State Government in relation to powers and functioning of the Governor under the Andhra Pradesh State Reorganization Act.

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): Madam Speaker, I thank you very much for giving me this opportunity. गृह मंत्री जी ने अभी जो आश्वासन दिया है कि हरेक पक्ष को आप न्याय देंगे, उसी उम्मीद के साथ मैं सोचता हूँ कि आप तेलंगाना के साथ भी न्याय करेंगे। मैडम, 8 तारीख, शुक्रवार को हम लोग यहां से खुशी-खुशी तेलंगाना में बहनों के साथ राखी बंधवाने के लिए गए थे। हम लोग बहुत खुश थे कि हम वहां पर त्यौहार मनाएंगे। लेकिन वहां पहुंचते ही हमारे सिर के ऊपर एक पत्र मंडराता हुआ आया। यह पत्र होम मिनिस्ट्री से आया है। 60 साल से तेलंगाना की जनता, जो तपस्या करने के बाद, आंदोलन करने के बाद, कितने बच्चों को गंवाने के बाद, हम लोगों ने जो तेलंगाना हासिल किया था, उस तेलंगाना के लिए फिर आज एक अंकुश ला कर हमारे ऊपर बिठाने का काम किया है। मैडम, आज यहां पर 28 राज्य हैं। कौन सा चीफ मिनिस्टर चाहेगा कि उनके क्षेत्र के अंदर गवर्नर एस.एच.ओज़ का ट्रांसफर करे, ए.सी.पीज़ का ट्रांसफर करे, डी.सी.पीज. का ट्रांसफर करे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हर फाइलों को गवर्नर अपने हाथ में ले और वह अपना डिसीज़न दे। इससे पहले जुलाई के महीने में होम मिनिस्ट्री से ही एक पत्र आया था कि गवर्नर्स को ये-चे पॉवर्स दी जाएंगी, तो आपके कमेंट्स क्या हैं। उस लैटर को लेकर हम सब एम.पी. गृह मंत्री के चैंबर में गए थे। वहां जाने के बाद उन्होंने यह पत्र पढ़ा एक बार नहीं बल्कि दो बार यह पत्र पढ़ा। पत्र पढ़कर उन्होंने कहा कि जितेन्द्र अगर यह पत्र लम्बा होगा तो कहीं भी चीफ मिनिस्टर्स अपना-अपना कर्त्तव्य नहीं निभा सकेंगे। यह गवर्नर रूल हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, ऐसा रूल नहीं आएगा। गृह मंत्री जी का आश्वासन ले कर तेलंगाना की जनता को हमने आश्वासन दिया था कि गवर्नर रूल नहीं आएगा। हमारे मुख्य मंत्री के.सी.आर जी ने जो सपना देखा था, जिस तरीके से उन्होंने तेलंगाना हासिल किया था, उस तेलंगाना को वापस बंगारू तेलंगाना बनाने के लिए हम लोग चल रहे हैं। आज हमें तेलंगाना मिले हुए सिर्फ दस हफ्ते हुए हैं। दस हफ्ते के अंदर हमने हरेक को रिक्वेस्ट की थी। आपसे भी हमने नम्रता से रिक्वेस्ट की थी। जेटली जी से हम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर, हमें फैडेवस दीजिए, हमें सैरैलैवस दीजिए, हमें पोषण दीजिए, हमें आर्थिक पोषण दीजिए और हमें ऊपर ले कर आएं। लेकिन हर समय हम देखते जा रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई न काई अंकुश लगाते जा रहे हैं। आपने पोलवरम इश्यू के अंदर देखा है कि पोलवरम प्रोजेक्ट की वजह से पूरे आदिवासी लोगों को बेघर करने का एक ऑर्डिनेंस लाया गया है और वह पाप भी हमारे गृह मंत्री जी के हाथों से कराया गया है। ...(व्यवधान) वह बिल भी इन लोगों ने पारित किया है। राज्य सभा में एम.एस.ओ. के ऊपर ...(व्यवधान) तेलंगाना के मिनिस्टर्स के ऊपर में, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के ऊपर में जिस तरीके से टेलिविज़न वाले मज़ाक कर रहे हैं, अगर वह हमने बताया था तो जावेड़कर जी ने कहा कि हम एम.एस.ओज़ को कैंसल करते हैं। मैडम, हम आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से एक ही बात पूछना चाहते हैं कि ये जो पत्र आपने लिखा है, इस पत्र का मतलब क्या है?

भारत देश में जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं, क्या उनका हक आप छीनना चाह रहे हैं?...(व्यवधान) क्या गवर्नर रूल हर क्षेत्र में, हर कांस्टीच्युएंसी के अंदर में लाना चाह रहे हैं?...(व्यवधान) इस तरीके से यह नहीं चलेगा।...(व्यवधान) महोदया, यह पूरी तानाशाही है।...(व्यवधान) हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यह लेटर होम मंत्री जी देखें और इसका सदन में जवाब दें।...(व्यवधान) हमारे मुख्यमंत्री के.सी.आर जी ने मोदी जी को लेटर लिखा है, के.सी.आर जी को पता है कि मोदी जी को इस लेटर की खबर नहीं होगी। जिस दिन केंद्र सरकार ने गुजरात के अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश की तो मोदी जी ने उसका विरोध किया था।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात हो गयी है।

â€¦(व्यवधान)

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी : हमें इस लेटर का होम मिनिस्टर जी से जवाब चाहिए।...(व्यवधान) और इसे विदड्रा करना चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : राजीव प्रताप रूडी।

â€¦(व्यवधान)

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : आपने यह भी सपना दिखाया था कि पहली चीफ मिनिस्टर दलित होगा।...(व्यवधान) उसका क्या हुआ?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, कोई आपस में नहीं बोलेगा।

â€¦(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) â€¦ *

माननीय अध्यक्ष : यह क्या हो रहा है?

â€¦(व्यवधान)

HON. SPEAKER: No, I have not allowed you to speak.

...(*Interruptions*)

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : अध्यक्ष महोदया, यदि आपकी इजाजत होगी तो इस संबंध में मैं अपना स्टेटमेंट भी दे सकता हूं। यदि इजाजत होगी तो, नहीं तो बहुत ही संक्षेप में मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां तक केंद्र और राज्यों के संबंधों का सवाल है, इसकी संवेदनशीलता को हमारी सरकार समझती है। हमारी सरकार की भरपूर यह कोशिश होगी कि केंद्र और राज्य के संबंधों में किसी भी प्रकार की खटास न पैदा होने पाए।

अध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार की यह भी प्रतिबद्धता है कि जो राज्यों के अधिकार हैं, वे पूरी तरह से सुरक्षित रहें। उस पर किसी भी सूरत में कोई प्रश्नचिन्ह नहीं लगना चाहिए।...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : रूल यूपीए सरकार ने किया है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप हर बात पर बीच में बोलते हैं।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आज आपको क्या हो गया है?

â€¦(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): महोदया, ये यूपीए की गलती बता रहे हैं कि वे क्या करके गये हैं?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, आप भी चुप बैठिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : महोदया, हमारे सामने की बेंच के माननीय सदस्य ने जो यह कहा है कि इसे यूपीए गवर्नमेंट ने किया है। यह सच है कि आंध्र प्रदेश रीआर्गनाइजेशन बिल यदि किसी ने तैयार किया था तो यूपीए ने ही तैयार किया था।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह क्या हो रहा है?

â€¦(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions) â€¦**

माननीय अध्यक्ष : ऐसे नहीं होता है। यह कोई तरीका नहीं है।

â€¦(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : महोदया, मैं यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा कि इसी एक्ट के सैक्शन 8 में यह प्रोवीजन है कि Responsibility of Governor to protect residents of common capital of Hyderabad. ...(*Interruptions*) Section 8. (1) states that : "On and from the appointed day, for the purposes of administration of the common capital area, the Governor shall have special responsibility for the security of life, liberty and property of all those who reside in such area." ...(*Interruptions*)

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Madam, it is unconstitutional. ...(*Interruptions*) It should not be allowed. ...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions) â€¦**

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप अपनी बात रखिये।

â€¦(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Only the hon. Minister's statement will go on record.

...(*Interruptions*)

SHRI RAJNATH SINGH: Madam, Section 8. (2) states that : "In particular, the responsibility of the Governor shall extend to matters â€¦" ...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please go back to your seat. ऐसे बीच में नहीं बोलिये जब मंत्री जी बोल रहे हैं। ऐसे नहीं होता है।

...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: This is not the way. Do you not want to hear the reply of the hon. Home Minister?

...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आपको मंत्री जी का जवाब नहीं चाहिए क्या? जितेन्द्र जी, आपको मंत्री जी का जवाब नहीं चाहिए क्या? अगर चाहिए तो आप बैठ जाइए। आपको पूरा सुनना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता है।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप अपनी बात रखिये। Let it go on record.

â€¦(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : मैडम स्पीकर, इसी सैक्शन 8 का पार्ट 2 है :

> "Section 8 (2): In particular, the responsibility of the Governor shall extend to matters such as law and order, internal security and security of vital installations, and management and allocation of Government buildings in the common capital area."

इसी का थर्ड पार्ट है :

> "Section 8 (3): In discharge of the functions, the Governor shallâ€¦ (*Interruptions*)

...(*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): That is the crux of the matter. â€¦ (*Interruptions*)

SHRI RAJNATH SINGH: I am coming to that point. इसी का थर्ड पार्ट है :

> "Section 8 (3): In discharge of the functions, the Governor shall, after consulting the Council of Ministers of the State of Telangana, exercise his individual judgment as to the action to be taken."

यह जो प्रोविज़न हैं, इसी के अंतर्गत एक एडवाइज़री वहाँ जारी की गई है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। जो भी हमारे एक्ट के प्रोविज़न्स हैं, उनका कहीं पर कोई वॉयलेशन नहीं हुआ है। ...(व्यवधान)

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): We would like to know whether the State Government was consulted or not? ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़ बैठिये। पहले पूरा सुनें तो सही।

â€¦(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : आगे है :

> "Provided that if any question arises whether any matter is or is not a matter as respects which the Governor is under this sub-section required to act in the exercise of his individual judgment, the decision of the Governor in his discretion shall be final, and the validity of anything done by the Governor shall not be called in question on the ground that he ought or ought not to have acted in the exercise of his individual judgment."

यह एक्ट का प्रोविज़न पूरी तरह से क्लियर है। अलग से कोई ऐसी बात जो एडवाइज़री जारी की गई है, उसमें नहीं कही गई है। इस एक्ट के जो प्रोविज़न हैं, उनका कहीं भी कोई वॉयलेशन हुआ है, ऐसा कुछ भी जारी नहीं किया गया है, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ। यह भी प्रोविज़न है:

> "Section 8 (4): The Governor shall be assisted by two advisors to be appointed by the Central Government."

दो एडवाइज़र सैन्ट्रल गवर्नमैंट के आलरेडी अपॉइंट किये जा चुके हैं। ...(व्यवधान)

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): Madam, this is wrong. ...(*Interruptions*)

SHRI B. VINOD KUMAR (KARIMNAGAR): Madam, I want to seek one clarification. ...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at two o'clock.

12.58 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.